फर्द अहकाम

नाम न्यायालय Admin माधोसिंह बनाम कल्याणसिंह

केस संख्या TI NO. 262/08

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		पत्रावली आज दिनांक 19/4/18 को पेश हुई। वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब/प्रा.जवाब/जवाब/बहस ना पूर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 24/4/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय
		आज दिनांक 24/4/18 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 7/5/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय
	7/5/18	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उम्मीद बहस कर्ज अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 21/5/18 को पेश है। सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर द्वितीय
	21/5/18	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उम्मीद बहस पर बगौर मनन किया पत्रावली का मय रेकार्ड अवलोकन करने तथा कानूनी उदयपर दृष्टिपात करने

फर्द अहकाम

आशो सिंह बनाम कल्याण सिंह वगैरह

न्यायालय तहसीलदार

संख्या TiNo- 262/08

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		केस पुकारा गया प्रार्थी की प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को तरफैन मुकदमा अन्तर्गत सिविल निषेधाज्ञा किया जाता है कि वाद ग्राम आमली वाकि ग्राम [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित मौका [illegible] की यथा स्थिति [illegible] तारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण एक दूसरे की काश्त के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो [illegible] तजवीज़ [illegible] आज दिनांक 21/5/2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] सहायक कलेक्टर एवम् कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर (दक्षिण)	